न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 390/17 **निर्णय दिनांकः—19.11.2018**

1. कालूराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चक 33 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान गोदारा, स्मिता व्यास अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश बिना दिनांक जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में बतौर विशेष आवंटन के लिए दिनाक 06—07—1991 को चक 28 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 227/8 एवं

228/1 में कुल 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा मुरब्बा नम्बर 227/8 जरिये नीलामी पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित है तथा अन्य रकबा मुरब्बा नम्बर 228/1 के आवंटन हेतु राज्य सरकार के राज्यादेश क्रमाक प.3(6)उप/91 दिनांक 13–05–1992 से विशेष आवंटन हेतु रोक होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये ही अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा अन्य को आवंटित है तथा आवंटन पर राज्य सरकार की कोई रोक है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश बिना दिनांक के विरूद्व अपील दिनांक 14–11–17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर

है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित होने व आवंटन पर राज्य सरकार की रोक होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 14–11–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए वादगत् भूमि चक 28 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 227/8 व मुरब्बा नम्बर 228/1 में 50 बीघा भूमि के आवंटन की इस्तदुआ की गई।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा चक 28 के जे डी के मुरब्बा नम्बर 227/8 की 25 बीघा भूमि पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित होने व आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। इसी क्रम में अपीलांट द्वारा आवेदित अन्य रकबा मुरब्बा नम्बर 228/1 के आवंटन हेतु यह अभिलिखित किया गया है कि उक्त रकबे के आवंटन हेतु राज्यादेश संख्या प 3 (6) उप/91 दिनांक 13–05–1992 के माध्यम से विशेष आवंटन पर रोक होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को नहीं किया जा सकता है तथा यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थना पत्र के साथ जमा कराई गई राशि से पुनः आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दे दिया गया है।

(4) चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित होने व अन्य रकबे के आवंटन हेतु राज्य सरकार की रोक होने के कारण उक्त दोनों मुरब्बों का आवंटन अपीलांट को नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि 500/– से पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर